

Educational Psychology

Paper III

B.A. II (Hons.)

Describe the Methods of Counselling.

परामर्श की विधियों पर प्रकाश डालें।

विद्यार्थियों को परामर्श देने के लिए कुछ विधियों का सहारा लिया जाता है। सभी प्रकार की समस्याओं के लिए एक ही विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पहले यह देखते हैं कि समस्या किस प्रकार की है और उसी के अनुरूप परामर्श की विधि का प्रयोग करते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है की परामर्श देते समय एक ही विधि का प्रयोग किया जाए। यह समस्या पर निर्भर करती है कि उसके लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाए। यदि समस्या जटिल है तो सभी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षार्थियों ने परामर्श की अनेक विधियों का वर्णन किया है। उनमें कुछ मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं-

1. विश्वास-

विश्वास परामर्श की एक प्रमुख विधि है। इस विधि में परामर्श देने वाला परामर्श ग्रहण करने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनता है और उसके विचारों का अनुमोदन भी करता जाता है। इस विधि में परामर्श दाता को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है की उनकी जिन बातों को वह अनुमोदन कर रहा है उसे वापस नहीं ले। क्योंकि यदि वह अनुमोदन को वापस लेता है तो इसका मतलब यह है की वह विश्वास को वापस ले रहा है। ऐसा करने से परामर्श का प्रभाव काम हो जाता है।

2. स्वीकृति-

स्वीकृति भी परामर्श की एक विधि है। यह विश्वास से बहुत कुछ मिलता जुलता है। परन्तु स्वीकृति की तुलना में विश्वास अधिक व्यापक होता है। स्वीकृति की इस विधि में परामर्श देने वाला परामर्श ग्रहण करने वाले व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है और उसकी समस्याओं को सुन कर कभी-कभी अपनी सहमति भी व्यक्त करता है। सहमति में वह वैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे की परामर्श ग्रहण करने वाला व्यक्ति यह समझता है की वह उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है और उसके कथनों से सहमत है। सहमति के रूप में बिलकुल ठीक आप सही कह रहे हैं आदि शब्दों का इस्तेमाल करता है। इससे परामर्श प्रार्थी यह समझने लगता है की उसकी समस्याओं को वह ठीक से समझ रहा है। इस प्रकार वह अपनी सभी समस्याओं को व्यक्त कर देता है।

3. मौन-

यह भी परामर्श की एक विधि है। इस विधि में परामर्श देने वाला व्यक्ति उन विचारों या कथनों को गौर से मौन रह कर सुनता है जो परामर्श प्रार्थी कहता है ताकि परामर्श ग्रहण करने वाला यह समझे की परामर्श दाता उसकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन रहा है और उसके प्रति विचार कर रहा है। इस प्रकार यह व्यक्ति परामर्श दाता के सामने अपनी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक वर्णन करता है और उससे सम्बंधित अधिक-से-अधिक जानकारी देता है।

4. पुनरावृत्ति-

इस विधि में परामर्श प्रार्थी पहले अपनी समस्याओं को परामर्श दाता के सामने सुना देता है। उसके बाद परामर्श दाता उन समस्याओं या कथनों को उनके सामने पुनः दोहरा देता है। इस विधि की यह विशेषता है कि परामर्श प्रार्थी को पुनः अवसर मिल जाता है। यदि उसके कथनों में उसकी समस्या से सम्बंधित कोई बात छूठ रही है तो उसे तुरंत व्यक्त कर देता है तथा परामर्श देने वाला यदि परामर्श प्रार्थी के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाया है या गलत समझा है तो उसे ठीक से समझ ले। इस प्रकार परामर्श प्रार्थी यह समझ जाता है कि परामर्श दाता उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से समझा है या नहीं। क्योंकि इसमें कथनों या समस्याओं की पुनरावृत्ति की जाती है इस लिए इस विधि को पुनरावृत्ति विधि कहते हैं।

5. स्पष्टीकरण-

परामर्श की इस विधि में परामर्श दाता उन कथनों का स्पष्टीकरण करता है जो परामर्श प्रार्थी कहता है। परामर्श के समय कभी-कभी ऐसा होता है की परामर्श लेने वाला अपनी समस्याओं को शब्दों के माध्यम से पूर्णतः स्पष्ट करने में कठिनाई अनुभव करता है। इस परिस्थिति में परामर्श देने वाला उसके कथनों को स्पष्ट करता है। उसके कथनों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा जा सकता है की आपके कहने का अर्थ यह है, आप यह कहना चाहते है। परामर्श दाता यह ध्यान रखता है की स्पष्टीकरण में यह अनुभव होने दे की वह उसके विचारों में अपना विचार आरोपित नहीं कर रहा है।

6. सामान्य मार्गदर्शन-

सामान्य मार्गदर्शन के अंतर्गत परामर्श दाता परामर्श ग्रहणकर्ता द्वारा एक भाग को पूरा कर लेने के पश्चात उससे अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर लेता है और मार्गदर्शन करता है। इसमें परामर्श ग्रहण करने वाले से परामर्श दाता स्वयं उसकी समस्याओं के समाधान के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह परामर्श दाता उसके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करता है और कुछ बदल कर पुनः उसके समस्या समाधान में सहयोग करता है।

7. विश्लेषण-

सामान्य समस्या के लिए सामान्य मार्गदर्शन से ही काम चल जाता है परन्तु जटिल समस्याओं के लिए परामर्श दाता उसका विश्लेषण करता है और अपने विश्लेषण को परामर्श प्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसके समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श देता है। कभी-कभी परामर्श

दाता द्वारा दिया गया समाधान को वह हूबहू स्वीकार नहीं करता है। यह परामर्श प्रार्थी पर निर्भर करता है की वह परामर्श के कितने अंशों को अमल में लता है।

8. विवेचना-

क्योंकि परामर्श प्रार्थी स्वयं अपने कथन की विवेचना करने में असमर्थ होता है इसी लिए विवेचना की आवश्यकता होती है। इसमें परामर्श दाता परामर्श प्रार्थी के कथनों का ही विवेचन करता है वह अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ता है। इसी विवेचना के आधार पर परामर्श दाता निष्कर्ष निकालता है।

9. परित्याग-

परामर्श प्रार्थी कभी-कभी दोषपूर्ण कथन प्रस्तुत करता है तो उसे परित्याग करना होता है। यदि परामर्श दाता यह समझता है की उसका कथन दोषपूर्ण है और उसका परित्याग करना भी आवश्यक है तो वह उन कथनों में थोड़ा परिवर्तन कर देता है ताकि प्रार्थी को यह आभास नहीं हो की उसके कथनों को अनदेखा कर रहा है। इससे प्रार्थी निराशा उत्पन्न हो सकती है।

Dr. Hena Hussain

Asst. Professor

Department of Psychology

Oriental College, Patna City

WhatsApp No. – 9334067986

Email-drhenahussain@gmail.com